सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान तकनीकी ....विश्वविद्यालय,
...................................**University,**
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांकः एफ.34(3)आरबी/2018/396
दिनांक : 14 जनवरी, 2019

आदेश

डॉ0 एन.पी. कौशिक को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.34(2)आरबी/2013/443 दिनांक 14.01.2016 द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित 2013) की धारा 11(1) व 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के पद पर नियुक्त किया गया था। डा0. कौशिक की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 14.01.2019 को पूर्ण होने जा रही है। उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2006 (यथासंशोधित 2018) की धारा 11(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, कुलाधिपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2006 (यथासंशोधित 2018) की धारा 11 (9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो0 नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0

(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.34(3)आरबी/2018/ 397-403 दिनांक 14 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो0 नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. डॉ. एन.पी. कौशिक, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

14.01.19

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान